

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)**

**एन.एच. 5 आर/2, नीलम बादशाह खान रोड़,**

**एनआईटी, फ़रीदाबाद – 121001**

**फोन सं.: 0129-2410672,2414419
 फ़ैक्स : 0129-2414392**

**www.sidbi.in**

ई- नीलामी बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत ई- नीलामी के माध्यम से आस्तियों की बिक्री (ऑनलाइन नीलामी)

वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, को प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के 5, 6, 7, 8 & 9 के साथ पढ़ा जाए और इसके तहत बैंक के पास बंधक अचल संपतियों -नीलामी के माध्यम से बिक्री

 वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ,( 2002 का सं. 54) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति के रूप में दी गई निम्नांकित आस्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। उक्त आस्तियाँ निम्नांकित खातों के उधारकर्ता को प्रदत्त ऋण सुविधाओं के लिए प्रतिभूति के रूप में ली गई थी।

भारतीय लघु उद्योगा विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दिए गए प्रतिभूत ऋण की देयराशि की वसूली के प्रति, प्रतिभूत आस्तियों को जहाँ हैं, जैसे हैं, जो है, सो है, आधार पर प्रत्येक आस्ति के लिए अलग सार्वजनिक ई नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय किया गया है। संपाति का विवरण निम्नवत है:

|  |  |
| --- | --- |
| प्रतिभूत ऋण का नाम एवं पता | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)एन.एच. 5 आर/2,नीलम बादशाह खान रोड़, एनआईटी, फ़रीदाबाद-121001 |
| उधारकर्ता/ का नाम कर्ताबंधंक  | 1. श्री रमन पुरी, पुत्र श्री बच्चन लाल पुरी निवासी 59 बी, लेना सी-5, सैनिक फार्म, नई दिल्ली- 110062

( बंधककर्ता)1. श्रीमती मधु पुरी पत्नी श्री रमन पुरी, निवासी 59 बी, लेना सी-5, सैनिक फार्म, नई दिल्ली- 110062

( बंधककर्ता)1. यूनीवर्सल बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड़, जिसका पंजीकृत कार्यालया 102, अन्तरिक्ष भावना, 22 केजी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 (उधारकर्ता/ बंधककर्ता)
 |
| बैंक को देय राशि | **Rs. 10,33,11,937/-** (यथा 17.12.2015) **और 18.12.2015 से उस पर ब्याज और अन्य लागत एवं प्रभार** |
| संपत्ति का विवरण/ उधारकर्ता/ कर्ताबंधंक | **नाम:** संपत्ति 1 के लिए श्री रमन पुरी संपत्ति 2 के लिए श्री रमन पुरी एवं श्रीमती मधु पुरी संपत्ति 3 के लिए यूनीवर्सल बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड़ |
| **संपत्ति का विवरण:**1. भूखंड सं. एफ-390, सुशांत लोक, फेज- II, गुड़गाँव जिसका क्षेत्रफल 290 वर्ग मीटर है, जिसके मालिक श्री रमन पुरी हैं।
2. भूखंड सं. ए-1085, सुशांत लोक-I, गुड़गाँव जिसका क्षेत्रफल 376 वर्ग मीटर है, जिसके मालिक श्री रमन पुरी एवं श्रीमती मधु पुरी हैं।
3. भूखंड एवम उसके ऊपर बना ढांचा सं. 45-52 (8 भूखंड जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है (प्रत्येक भूखंड 300 वर्ग मीटर हैं, जो सैक्टर -7 प्रेकोर सिटी, सोहना, गाँव, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित हैं और यह यूनीवर्सल बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड़ है।
 |
| नीलामी की तिथि  |  20 दिसम्बर, 2016  |
| ई नीलामी का पोर्टल | [**https://www.bankeauctions.com**](https://www.bankeauctions.com) |
|  | **क्रमसं.**  | **संपति 1** | **संपति 2** | **संपति 3** |
| आरक्षित मूल्य  | 1 | Rs. 212 लाख | Rs. 393 लाख | Rs. 681 लाख |
| बयाना जमा राशि  | 2 | Rs.10.60 लाख | Rs.19.65 लाख | Rs.34.05 लाख |
| बोली बढ़त राशि | 3 | Rs.50,000/- | Rs.50,000/- | Rs. 1,00,000/- |
| नीलामी का समय | 4 | 10.30 बजे से 12.00 बजे तक संपत्ति की बिक्री की समाप्ति तक 5 मिनट की अवधि का असीमित विस्तार  | 12.00 बजे से 13.30 बजे तक संपत्ति की बिक्री की समाप्ति तक 5 मिनट की अवधि का असीमित विस्तार  | 14.00 बजे से 16.00 बजे तक संपत्ति की बिक्री की समाप्ति तक 5 मिनट की अवधि का असीमित विस्तार  |
| निविदा दस्तावेज जमा करने के लिए पता  | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)एन.एच. 5 आर/2,नीलम बादशाह खान रोड़, एनआईटी, फ़रीदाबाद-121001 |
| इच्छुक क्रेताओं द्वारा आस्ति परीक्षण की तिथि  |  | **संपति 1** | **संपति 2** | **संपति 3** |
| **तिथि** | 14 दिसम्बर, 2016 | 14 दिसम्बर, 2016 | 14 दिसम्बर, 2016 |
| **समय** | 1030 से 1200 बजे | 12.30 से 14.00 बजे | 16.00 से 17.30 बजे तक |
| **बयाना जमा राशि और दस्तावेजों** **(ऑनलाइन) सहित ऑनलाइन बोली भेजने की अंतिम तिथि**  | 16 दिसम्बर, 2016 को 1715 बजे तक  |

**अन्य शर्ते**

1. इच्छुक क्रेता अपने व्यय पर पहले समय लेकर संपति का निरीक्षण सकता है। समय निर्धारित करने के लिए **श्री राजेश कुमार (समप्र) मो. 9999706510, श्रीमती शिल्पा सोलंकी (प्रबंधक) मो. 8527403777** पर संपर्क किया जा सकता है।
2. **भावी बोलीकर्ता उपर्युक्त ई- नीलामी के लिए** [**https://www.bankeauctions.com**](https://www.bankeauctions.com) **से बोली के लिए** अनिवार्य यूजर पासवर्ड प्राप्त कर लें **एवं टेंडर फॉर्म भरें**। उन्हीं बोलीकर्ताओं को पासवर्ड आवंटित किए जाएंगे, जो ई- नीलामी की शर्ते पूरी करेंगे और जिन्होंने आवश्यक बयाना राशि एवं टेंडर फॉर्म सम्बंधित बैंक में 12 दिसम्बर, 2016 को 1715 बजे तक जमा करा दिए है।
3. ई नीलामी का आयोजन बैंक द्वारा किया जाएगा और भावी बोलीकर्ता ई-नीलामी के लिए **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड फोन: 0124-4302020/2122/23/24, मोबाइल्: +91- 7291981124 / 1125 / 1126, हेल्पलाइन ईमेल आईडी:** **support@bankeauctions.com****. से** ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर लें
4. बोलीकर्ताओं से अनुरोध हैं कि वे अपनी बोलियाँ भेजने और ई नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले ई-नीलामी के लिए [**www.sidbi.in**](http://www.sidbi.in) और नीलामी बिक्री के लिए विस्तृत शर्तों के बारे में [**https://www.bankeauctions.com**](https://www.bankeauctions.com)पोर्टल पता/ वेबसाइट पर जाए या प्राधिकृत अधिकारी श्री ऋषि व्दिवेदी, उप महाप्रबंधक से संपर्क करें।
5. बयाना राशि एनईएफटी / आरटीजीएस के जरिए खाता सं. 057102000020101, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड़ से, लाभधारी का नाम- आई एफ एस सी कूट IBKL0000057 सिडबी को अदा करेंगे। तत्पश्चात वे **https://**[**www.bankeauctions.com**](http://www.bankeauctions.com) में लॉग इन करेंगे और स्वयं को उक्त साइट पर रजिस्टर कराएंगे। वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ अपने पास तैयार रखेंगे – (1) बयाना राशि जमा करने का प्रमाण- एनईएफटी / आरटीजीएस का यूटीआर नं., (2)पैन कार्ड / फॉर्म 60 (3) नवीनतम पते का प्रमाण पत्र , इन्हें रजिस्ट्रेशन के समय निविदा करने के लिए साइट पर लोड करेंगे, ताकि उन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल सके (
6. बोलीकर्ता के पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र एवं वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए।
7. यदि उधारकर्ता बैंक की निविदा के अनुसार बोली स्वीकार करने की तिथि से पूर्व कुल देयराशि का भुगतान करता है, तो निविदा के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाएगी और उस आशय के पत्रादि भेजे जाएंगे।
8. बिक्री पुष्टिकरण के पहले सभी निविदाएँ / बोलियाँ स्वीकार या अस्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए ई- नीलामी निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली स्वीकृत किए जाने के बाद प्रारम्भिक जमा (बैंक द्वारा स्वीकार्य बोली की 25% राशि) तुरंत भेजा जाना अपेक्षित होगा, चूक की स्थिति में बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और संपाति की पुन: बिक्री की जाएगी और चूककर्ता क्रेता द्वारा संपत्ति क्रय करने के सभी दावे जब्त हो जाएंगे।
10. सिडबी द्वारा बोली स्वीकार किए जाने के बाद शेष राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना होगा । निर्धारित सीमा के अंदर शेष राशि के भुगतान में चूक होने पर जमा की गई राशि जब्त की जाएगी।
11. सिडबी को यह अधिकार होगा की वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त को आवश्यकतानुसार संशोधित / आशोधित कर सकता है / हटा सकता है। यदि किसी क्रेता से आस्तियों के क्रय के लिए आस्थगित भुगतान आधार पर क्रय का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और यदि क्रेता के बैंकर/ रों से सिडबी को असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्य किन्हीं कारणों से सिडबी प्रस्ताव (भुगतान आधार पर क्रय का प्रस्ताव) को रद्द/ संशोधित कर सकता है।
12. बेची जाने वाली संपत्तियों के लिए सरकार या किसी अन्य को दिया जाने वाला कोई भी प्रभार, धारणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर, या अन्य अधिभार के लिए प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
13. सफल बोलीकर्ता पूरी तरह से सभी प्रभार, कर, स्टाम्प शुल्क सहित वाहन के लिए भुगतान , पंजीकरण शुल्क, अन्य अधिभार यदि कोई हो का वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बेची जा रही संपत्ति के लिए सरकार या अन्य किसी को दिए जाने वाले ज्ञात/ अज्ञात देय राशियों, व्ययों, संपत्ति कर या अन्य किसी देयराशि का वहन सफल बोलीकर्ता द्वारा किया जाएगा।
14. इच्छुक बोलीकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह बैंक प्रभार के अलावा संपत्ति / क्षेत्र के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में अन्य प्राधिकारियो से भी सावधानीपूर्वक जाँच करें इसके अलावा स्वत्व दस्तावेजों को बारीकी से पढ़े और बोली भेजने से पूर्व संपत्ति की स्वत्व सीमा, सांविधिक देयताओ, संपत्ति कर की बकाया राशि से स्वयं को संतुष्ट करे। बोली भेजने के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई संपत्ति के लिए किसी भी प्रकार के दावों, संपत्ति पर ऋणभार या अन्य किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. बिक्री के लिए प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात सिडबी की पुष्टि अनिवार्य है।
16. आरक्षित मूल्य से कम की कोई भी बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सशर्त बोलियाँ को अवैध करार किया जाएगा।
17. निविदा जमा करने के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन / आशोधन के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. संपत्ति अर्जन के बाद विक्रेता कोई खतरनाक/ प्रतिबंधित निर्माण नहीं करेगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है ।
19. बोलीकर्ताओं के हित में, यह अपेक्षित होगा कि बोली समाप्ति के अंतिम क्षणों में बोली प्रक्रिया न किया जाए। वेंडर की ओर् से किसी भी प्रकार की चूक/ निष्फलता( इंटरनेट निष्फलता, बिजली नहीं होना आदि) के लिए न ही बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा।
20. उच्चतम / सफल बोलीकर्तओं के मामले में बयाना जमा राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। असफल बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी से सात दिनों के अंदर बयाना जमा राशि वापस कर दी जाएगी। बोलीकर्ता किसी भी प्रकार का ब्याज, मूल्य, व्यय या अन्य कोई प्रभार (यदि कोई है) का दावा कारने के लिए पात्र नहीं होगें।.
21. विक्रय प्रमाणपत्र उसी नाम पर जारी किया जाएगा, जिस नाम से निविदा जमा की गई है।
22. यहाँ पर ऊपर प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्ति का अर्थ सरफेसी अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए अर्थ के समान लिया जाना अपेक्षित होगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा चंण्डीगढ़, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही किया जाएगा।
24. यदि ई-नीलामी के पहले ई-नीलामी का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है तो **https://**[**www.bankeauctions.com**](http://www.bankeauctions.com) और् [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) .पर इसका उल्लेख किया जाएगा।
25. यह प्रकाशन उधारकर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटीकर्ता के लिए 15 दिनों की नोटिस अवधि हैं।
26. ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के साथ-साथ आगे की जानकारी या सहायता के लिए कृपया **श्री** **राजेश कुमार (समप्र**) **मोबाइल: 9999706510, श्रीमती शिल्पा सोलंकी (प्रबंधक) मोबाइल. 8527403777 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) फ़रीदाबाद या सेवाप्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लिमिटेड फोन : 0124-4302020/2122/23/24, मोबाइल : +91- 7291981124 / 1125 / 1126, हेल्पलाइन आईडी :** **support@bankeauctions.com**.**पर संपर्क करे।**

प्राधिकृत आधिकारी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

दिनांक : नवम्बर 19, 2016

स्थान :फरीदाबाद